

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1464 / 2010 / जयपुर.

मैसर्स राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेटिव ऑयल
सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), पंचम, वाणिज्यिक कर, जयपुर.
2. सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त राज., जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21 / 02 / 2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) पंचम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 1352/एसीसीटी(ए)/66/99-2000 में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 16.09.99 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। उक्त विवादित अपीलीय आदेश में किये गये निर्णय में से कुछ बिन्दुओं पर विधिक एवं न्यायिक निर्णय नहीं होने से उस पर कथन एवं तर्क प्रस्तुत किये।

2. प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय आदेश में निम्नांकित बिन्दुओं पर किये गये निर्णय को ही विवादित किया गया है जिस पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस की गयी :-

(1) अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपंजीकृत व्यवसायियों से जो तिलहन की खरीद की गयी थी जिसकी राशि रुपये 1,57,31,315/- पर क्रय कर का आरोपण किया गया है जबकि अपीलार्थी का यह कथन है कि माल की क्रय राशि रुपये 1,48,97,534/- ही थी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रुपये 8,33,781/- के ट्रांसपोर्टेशन व अन्य खर्चों को भी सम्मिलित करते हुए करारोपण किया है, जो उचित नहीं है।

लगातार.....2

(2) अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि तिलहन की अपंजीकृत व्यवसायियों से की गई खरीद में से उपयोग में आये माल पर चुकाये गये कर के बजाय पूर्ण क्रय राशि को आधार मानकर अन्तर रूपये 3,25,120/- पर आरोपित किये गये क्रय कर रूपये 6,502/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से यथावत रखा गया है क्योंकि जिस माल की खरीद की गई थी उसके उपयोग किये गये माल पर ही क्रय कर आरोपित किया जाना चाहिये था अतः इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया।

(3) अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में खल की बिक्री रूपये 3,22,78,644/- पर 0.5 प्रतिशत की दर से आरोपित किये गये कर व ब्याज को इस आधार पर विवादित किया गया था कि आलौच्य अवधि में खल की बिक्री 03.05.1995 की अधिसूचना से करमुक्त थी एवं करमुक्ति के लिये यह शर्त थी कि खल का इन्द्राज पंजीयन प्रमाण-पत्र में किया गया हो। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश में इस बिन्दु पर कोई निर्णय नहीं दिया गया, जैसा कि अपीलीय आदेश के पृष्ठ संख्या 2 के बिन्दु संख्या 4 में अपीलार्थी के कथनों को अंकित किया गया है परन्तु अपीलीय अधिकारी के द्वारा किये गये निर्णय के बिन्दु संख्या 1 से 9 में इसका न तो कोई विवरण दिया गया है एवं न ही कोई निर्णय किया गया है अतः इस बिन्दु पर निर्णय करने का अनुरोध किया कि अपीलार्थी के पंजीयन प्रमाण-पत्र में खल का इन्द्राज होने से करारोपण को अपास्त किया जावे।

3. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत बताया तथा इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने पर बल दिया।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त विवादित बिन्दुओं में प्रथम बिन्दु यह है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तिलहन पर क्रय कर का आरोपण किया गया है वह ट्रांसपोर्ट एवं अन्य खर्चों को सम्मिलित करते हुए किया गया है वह उचित नहीं है। अपीलार्थी का यह तर्क न्यायोचित है कि अधिनियम 1994 की धारा 11 के तहत क्रय कर माल की क्रय राशि (Purchase Price) जो धारा 2(39) में परिभाषित है उसी अनुसार आरोपणीय है। परन्तु यदि माल की कुल क्रय राशि

लगातार.....3


माल की खरीदी के समय मय ट्रांसपोर्ट खर्चों के एक करार के तहत विक्रेता द्वारा वसूल की गई हो तो उस स्थिति में माल की कीमत अपीलार्थी के द्वारा माल की डिलीवरी तक होने के समय मानी जायेगी अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी का अनुरोध स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है एवं निर्देश दिये जाते हैं कि यदि ट्रांसपोर्ट एवं अन्य खर्च क्रय के बाद अपीलार्थी द्वारा वहन किये गये हैं तो उस राशि पर किये गये करारोपण को निरस्त करें एवं शुद्ध क्रय राशि पर ही करारोपण की कार्यवाही करें।


6. अपीलार्थी की ओर से अपीलीय आदेश के बिन्दु संख्या 7 में अपंजीकृत व्यवसायियों से की गई खरीद पर आरोपित किये गये क्रय कर में उपयोग के आधार पर ही क्रय कर लगाये जाने का तर्क दिया गया है वह विधिसम्मत नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 11 के अनुसार क्रय कर का आरोपण "खरीद मूल्य" पर ही किया जाता है न कि उसके उपयोग के आधार पर। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर किया गया निर्णय विधिक होने से उसे यथावत रखा जाता है।

7. अपीलार्थी की ओर से अन्तिम विवादित बिन्दु खल पर किये गये करारोपण से सम्बन्धित है, उस पर अपीलीय आदेश में निर्णय नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में उनका यह कथन उचित है कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(11)एफडी ग्रुप-IV/95-11 दिनांक 03.05.1995 के जरिये पंजीयन प्रमाण-पत्र में खल की प्रविष्टि की शर्त पर खल के क्रय एवं विक्रय को करमुक्ति प्रदान की गयी थी। अपीलार्थी के पंजीयन प्रमाण-पत्र के अवलोकन से इनका इन्द्राज किया जाना पाया गया है अतः खल पर आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त किया जाता है।

8. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पर क्रय कर के आरोपण के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।


(क. एल. जैन)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष